**(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)**

**भारत सरकार**
**वित्त मंत्रालय**
**(राजस्व विभाग)**
**[केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड]**

**अधिसूचना सं. 4/2019 - केंद्रीय कर**

**नई दिल्ली, तारीख 29 जनवरी, 2019**

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 609 (अ), तारीख 19 जून,2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2017- केंद्रीय कर, तारीख 19 जून,2017 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -
(i) आरंभिक पैरा में, क्रम संख्यांक (ट) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
"(ठ) केंद्रीय कर संयुक्त आयुक्त (अपील),";

(ii) पैरा 2 में, क्रमसंख्यांक ग के पश्चात् शब्दों, "केंद्रीय कर अपर आयुक्त" के पश्चात् "या संयुक्त आयुक्त" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) पैरा 4 में, शब्दों और कोष्ठकों "अपर आयुक्त (अपील)" के स्थान पर "संयुक्त आयुक्त (अपील) की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(iv) सारणी 1 और सारणी 2 में, शब्दों "अपर आयुक्त" जहां कहीं वे आएं हों, के पश्चात् "या संयुक्त आयुक्त" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग-II)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल अधिसूचना अधिसूचना सं. 2/2017-केंद्रीय कर तारीख 19 जून,2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 609(अ),तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 1283(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2018 केंद्रीय कर, तारीख 31 दिसंबर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।